रूकमाराम खोथ मुद्रांक विक्रेता, बाड़मेर



# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

**राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./53/2025/बाड़मेर**

| अपीलांटस | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|
| 1. जेठूसिंह पुत्र बेरीसालसिंह<br>2. हाथीसिंह पुत्र बेरीसालसिंह<br>3. अकलकंवर पत्नी गोरधनसिंह, जाति राजपुत, निवासी चोचरा, तह. शिव, जिला बाड़मेर | 1. जसाराम पुत्र वालाराज जाति जाट, निवासी चोचरा, तह. शिव हाल निवास रावतसर चवा, तह. व जिला बाड़मेर।<br>2. गंगासिंह पुत्र अभयसिंह<br>3. सुआकंवर पत्नी अभयसिंह<br>4. मिसरसिंह पुत्र खुशालसिंह, जाति राजपुत, निवासी चोचरा, तह. शिव, जिला बाड़मेर<br>5. रामेश्वरलाल पुत्र चानणमल, जाति महेश्वरी, निवासी चोचरा, तह. शिव, जिला बाड़मेर हाल निवासी जगदलपुरा जिला जगदलपुर(छतीसगढ़)<br>6. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा उण्डू।<br>7. तहसीलदार शिव, जिला बाड़मेर। |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 139/2024 बउनवान जसाराम बनाम गंगासिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.01.2025 के विरूद्ध पेश हुई।**

**उपस्थिति**

1. वकील श्री प्रेम कुमार प्रजापत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री डॉ. अभयसिंह राठौड़ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

## –:निर्णयः–

**दिनांकः–13.08.2025**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा चोचरा, तहसील शिव के खसरा संख्या 83 रकबा 30.1490 हैक्टेयर का आया हुआ है तथा मौके पर मौखिक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट संख्या 01 / वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते है, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 4 से 6 (अपीलांट) के नाम से प्रथम बार में ही डाक से सम्मन जारी किये गये अपीलांट के नाम से जारी सम्मन अपीलांट से व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुये फिर भी अपीलांट की गलत रूप से एकतरफा कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.01.2025 को जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा चोचरा, तहसील शिव के खसरा संख्या 83 रकबा 30.1490 हेक्टेयर का आया हुआ है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोडेट संख्या 01 / वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते है, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 4 से 6 (अपीलांट) के नाम से प्रथम बार में ही डाक से सम्मन जारी किये गये अपीलांट के नाम से जारी सम्मन अपीलांट से व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुये और न ही डाक से कोई सम्मन प्राप्त हुआ, जिससे साबित है कि अपीलांट को वाद की कोई सूचना प्राप्त हुई हो। जिस कारण अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलांट की तामील के बारे में कोई जांच नहीं की। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील की प्रक्रिया सीपीसी नियम 5 आदेश 17 से 20 के अनुसार पूरी किये बिना ही जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन को विधिवत रूप से अपीलांट से तामील नहीं करवाया गया है तथा अपीलांट के नाम से प्रथम बार ही डाक से नोटिस जारी किये गये हैं जबकि विधिवत रूप से प्रथम बार में जरिये तामील कुनिंदा से सम्मन तामील करवाया जाना आवश्यक है परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रथम बार में ही डाक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

से नोटिस भेजे गये तथा नोटिस अपीलांट से विधिवत तामील ही नहीं हुई है तथा डाक मिलने की ए.डी. भी पत्रावली में मौजूद नहीं है न ही अपीलांट ने किसी को अधिवक्ता को नियुक्त किया न ही किसी अधिवक्ता को वकालतनामा या अन्य कोई दस्तावेज दिया था। इस प्रकार अपीलांट न तो स्वयं और न ही वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे। फिर भी अपीलांट के विरूद्ध विधि के विपरीत जाकर एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। वादी (रेस्पोडेन्ट संख्या 01) ने अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुऐ तथा बिना साक्ष्य पेश किये व विना तनकीयात कायम किये ही अपीलांट की गलत तरीके से तामील मानते हुए अपीलांधीन निर्णय एकतरफा पारित करवाया। उक्त अपीलांधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलांधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी(अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन–फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा चोचरा, तहसील शिव के खसरा संख्या 83 रकबा 30.1490 हैक्टेयर का आया हुआ है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग हिस्से खुले हुये हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट संख्या 01/वादी अपने हिस्से

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतयाः विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा–काश्तशुदा है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01(वादी) को अपनी हक–हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलियें सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिस अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त अनुसार प्राप्त हुआ है। साथ ही हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। और ना ही हिस्से को लेकर अपीलांट द्वारा कोई प्रश्न हाजा न्यायालय में किया गया है। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अपीलांट्स को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन प्रेषित किये गये थे जिसकी Item delivered की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पों. संख्या 01/वादी द्वारा पेश की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय की हस्तगत पत्रावली की आदेशिका दिनांक 18.12.2024 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 04 से 06 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अंडरटेकिग ली गई है। अंडरटेकिग के बाद पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी वकील द्वारा वकालतनामा पेश नहीं किया और ना ही वकील उपस्थित आया। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलाटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट्स/वादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन प्रेषित किये गये थे जिसकी Item delivered की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सलंगन है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। जिस आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट/वादी द्वारा बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहते हुए उपस्थित आने हेतु इनकार का अंकन है। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा किये कथनों पर विश्वास किया जाता है तो फिर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना संभव ही नहीं है। अपीलांट द्वारा उपस्थित नहीं आने के संबंध में उक्त कथनों का कोई

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सार नहीं है। अपीलांट को छोड़कर समस्त वादी एवं प्रतिवादी अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री से संतुष्ट हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, स्थायी अलामात/कब्जे–काश्त को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश किया है। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट द्वारा हस्तगत वाद एवं अपील के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया जिसके अनुसार अपीलांट जोत का बंटवारा चाहता हो। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय की पालना में विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया प्रतीत होता है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपील अपीलांट की सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 139/2024 बउनवान जसाराम बनाम गंगासिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.01.2025 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

13/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/8/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर